

फर्द आदेशम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं फर्देन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला बाली (राजस्थान)

वादीगण
अमृतलाल पुत्र पोगाराग जाति पीणा
निवासी रेला वेडा तहसील बाली जमैरा

काम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जयपुर
(भूमिदात्री) तहसीलदार बाली

किरम मुकदमा राजल वाद GCM5 NO. 2025/72

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख आदेश जो इस हुकम की जातिब में सही हुए
<p>85 $\frac{02}{25}$</p>	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम अमनाथपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 727 खचा 0.5000 हेक्टर कुल लगान 1050 रुपये के रिकॉर्ड ऑफ साइट्स जमावदी में वादीगण के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार गौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान कानूनकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिग्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, दूदनी एवं निरीक्षक भू0अ0 वेडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजारी नकशा को निर्णय व डिग्री पर्चा का माग माना जाये। इसी कदर डिग्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तर्फीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाये। पत्रावली फॉराल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं फर्देन
सहायक कलक्टर एवं फर्देन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्दादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाक्वा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, वाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलारा श्री दिनेश विश्वादाई, आर.ए.एस.

वादीगण
अमृतलाल पुत्र पोगाराम जाति भीणा
निवासी रेला बेडा तहसील वाली बगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार वाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/72
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम रूगनाथपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 727 रकबा 0.5000 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, दूदनी एवं निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार वाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/02/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्वादाई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली
उपखण्ड अधिकारी, वाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 21/01/2025 11:39:25 AM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

द्वारी हल्का : दूदनी

ग्राम : रूगनाथपुरा



खसरा संख्या : 727 क्षेत्रफल : 0.5000 Hectare खाता संख्या : 102 पुराना खाता संख्या : 95

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : नहरी अक्वल [0.5000, 10.50]

1.) अमृत लाल पुत्र पोमाराम हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा. रेला बेडा तहसील बाली खातेदार

2.) अर्जुन लाल पुत्र मुगलाराम हिस्सा- 1/2 जाति- गरासिया मकान संख्या- 0, कॉलोनी- गोरिया , क्षेत्र/स्थान- गोरिया , शहर- गोरिया , पिन कोड- 306707, जिला - PALI, राज्य - RAJASTHAN खातेदार

पंचहात कर्ता
ज डूनी

तहसीलदार (भू.अ.) बाली
E-Copy

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
स.प. डूनी
तहसील - बाली, जिला - पाली

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपनिर्देश अधिकारी, बाली